

केविएट की सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, मध्यप्रदेश भोपाल 462011

क्रमांक-1/ एन.एच.एम./ लीगल शाखा/ केविएट/2019/ 10474 भोपाल, दिनांक 19/09/2019

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा महिला पोषक प्रशिक्षक की भर्ती, राज्य स्तर से एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित की जा रही है। उक्त भर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विरुद्ध याचिका संस्थित होने की संभावना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सामान्य जन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में केविएट दाखिल की जा रही है, अतः अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति/ संस्था/ फर्म आदि उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के विरुद्ध अगर कोई याचिका संस्थित करता है तो वह इसकी अग्रिम सूचना निम्न अधिवक्ताओं को देगा :-

मुख्यपीठ जबलपुर हेतु :- अधिवक्ता श्री ब्रम्हदत्त सिंह, 2219 (एल.आई.सी. बिल्डिंग के सामने), डॉ. कटियार अस्पताल के पास, मदन महल, जबलपुर, मोबा. क्र.- 98261-10566.

खण्डपीठ इंदौर हेतु :- अधिवक्ता श्री रोमेश दवे, 28, लॉयर्स चेम्बर, उच्च न्यायालय कैम्पस, इंदौर, मोबा. क्र. - 98260-87724.

खण्डपीठ ग्वालियर हेतु :- अधिवक्ता श्री संकल्प शर्मा, 1- शर्मा निकेतन, शब्द प्रताप आश्रम के सामने, ग्वालियर, मोबा. क्र.- 89649-77896.

जी-16922/19

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश